

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-227132.

संख्या : ई. १५१७ नी०एस
दिनांक : २७ अगस्त २००१

प्रेषक,

भी राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्र संख्या : 15-16/48/ए/सम्बद्धता/2000-2001, दिनांक 3.5.2001 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का विदेश तुष्टा है कि गहामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अधीन चन्द्रकान्ती रमावती देवी गल्स आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर राजनीतिशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2001 से आगामी एक वर्ष तक की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता की अवधि विस्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

- मामांक**
- संस्था द्वारा ८८: माह में प्रवक्ताओं की विधियत नियुक्त कर दी जाएगी।
 - संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त विषयों में विद्यार्थियों का प्रयोग पीस, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में शासनादेश : १९६०/सत्तर-२-९७ (४५) ९७, दिनांक ११.११.९७ के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश के प्राविधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।
 - संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।
 - संस्था निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कर्मियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण कर लेगी।

भवदीय

/

(राकेश कुमार ओड़ा)
महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, व्याय मार्ज, इलाहाबाद।
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
- सचिव/प्रबन्धक, चन्द्रकान्ती रमावती देवी गल्स आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर।
- कम्प्युटर सेल, राजभवन, लखनऊ।

(राकेश कुमार ओड़ा)
महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि पत्र नं. ८०१, श. १५१९/वी. श. दिनांक २७ अक्टूबर, २००१
वौ श्री राज्यालय/कुलाधिकारी के विवेत संघर्ष, उदारा प्रदेश, गोरखपुर
उदारा कुलाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर किसान संघर्ष, ७३
गोरखपुर को सम्बोधित है।

आपके पत्र नं. १५-१६/सम्बद्धता/२००१-२००२ दिनांक
३-५-२००१ के सम्बन्ध में मूँहे आपको यह बताने का निर्देश हुआ है कि
महामहिम कुलाधिकारी यहौदियों ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्यालय
अधिनियम १९७३ की पारा ३७१२१ के लाइन पन्द्रहवांसि रमाघाटी देवी वर्ष
आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर को सुदृढित बोधित योजनान्वयन
(राजनीतिशास्त्र सर्वे सातकोत्तर सत्र पर विद्यालय) सर्वे राजनीति-
शास्त्र विषयों निम्न निषिद्धि गति के अधीन दिनांक १-७-२००१ से उदाराचारी
एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यायी सम्बद्धता की अवधि व स्थान की
सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- १- संस्था उदारा आगामी छ: माह में प्रवक्ताओं की विधिवत
नियुक्त कर ली जायेगी।
- २- संस्था उदारा महाविद्यालय में उपरोक्त किसी भी विषयालियों
का प्रवेश छीत, शिखकों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में शासनादेश
१९६०/सत्तर-२-९७१८५४/९७ दिनांक ११-११-९७ के अनुसार पा-
भिष्य में तमय-समय पर जारी शासनादेश तथा विष्वविद्यालय के
उदारा निर्धारण के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। विष्व-
विद्यालय उदारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उस अधा-
विद्यालय उदारा शासनादेश के प्राविधिकों का पूर्ण रूपये पालन
किया जा रहा है।
- ३- संस्था विष्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थायी
सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन
करेगी।
- ४- संस्था निरीक्षण मण्डल उदारा निरीक्षण में इंगित कियों को
उपरोक्त अवधि में पूर्व कर लेगी।

६० अस्पष्ट

कृष्ण कुमार झोड़ा ।

महामहिम कुलाधिकारी के विवेत संघर्ष

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विष्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक: १०२६ /सम्बद्धता/२००१-२००२ दिनांक तितम्बर १५, २००१

प्रतिलिपि: प्राचार्य, वन्द्रकान्ति रमाघाटी देवी आर्य महिला महाविद्यालय
गोरखपुर को सूचनार्थ सर्व आवायक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलाधिकारी सम्बद्धता

कृष्ण कुमार झोड़ा १५-११-२००१

एवं प्रतिलिपि पद्ध छंडा- ई.०. १५१३/वी.स्व. दिनांक २७ अक्टूबर, २००१
वो महामहिम कुला फिलि के लिए विषय, राज्यवाल विवाहालय, गोरखपुर उद्देश्य
लगात आरा तुल्य विषय, दीनमध्यालय आचार्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
को सम्बोधित है।

आपके पद्ध छंडा- १५-१६/सम्बद्धता/२०००-२००१ दिनांक ३-३-२००१
के छंडों में मुझे आपके यह कहने का लिए हुआ है कि महामहिम कुला फिलि
महोदय ने उत्तर उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालय अधिकारिय को घरा-३७१२१ के
बधीन चन्द्रकान्ति रमावती देवी गर्वी आई बिला महाविद्यालय, गोरखपुर
को स्थवित्ता प्राप्ति योग्या-तीत स्नातक स्तर पर बता छंडाय में तत्त्वज्ञान
एवं राजनीतिशास्त्र एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञानशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र
विषयों में निष्ठलिखित शर्तों के बधीन दिनांक १-७-२००१ से आगामी एक वर्ष
तक को अधिक के लिए अध्यायो छम्बद्धता को अवधि किस्तरण को सर्वे इवोकुति
प्रदान कर दो है।

- १- छंडा छारा आगामी छः माह में प्रवक्ताओं को विभिन्न नियुक्त कर तो जोष
गढ़।
- २- छंडा छारा महाविद्यालय में यारोक्ति विषयों में विद्यार्थियों का प्रबोध,
फोटो, फिल्मों को नियुक्त आदि के सम्बन्ध में शासनादेश १९६०/उत्तर-२-९७
१८५/९७ दिनांक ११-११-९७ के अनुसार या भविष्य में सम्पूर्ण समय पर यारो
को जायेगो। विश्वविद्यालय के छारा निर्धारित के अनुपार पर कार्यवाही
महाविद्यालय छारा यह सुनिश्चित हैं जो जायेगा कि उक्त
शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के ग्राहियानुसार का पूर्णांचल पालन किया जा
जा रहा है।
- ३- छंडा विश्वविद्यालय को परिनियुक्ताकर्त्ता में उत्त्विष्ट अध्यायो छम्बद्धता से
सम्बन्धित परिनियमों का अनिवाय अ सं अनुपालन करें।
- ४- छंडा निरोक्षण मण्डल छारा निरोक्षण में इंगित कर्मियों को अपरोक्ष अवधि
में पूर्ण कर लेंगे।

१० अक्टूबर
महामहिम कुला फिलि के लिए विषय

दोनद्याल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक ११७ /सम्बद्धता/२०००-२००१

दिनांक अक्टूबर ८ , २००१

प्रतिलिपि मार्गार्य, चन्द्रकान्ति रमावती देवी अर्य मीर्जा महाविद्यालय,
गोरखपुर का सुननाए एवं आवश्यक कार्यवाही का प्राप्ति।

अम दुस विवाहसम्बद्धता।

(०२०)१२
६/१०/०१

B.P
६/१०/०१

1804
पत्रांक-ई.स. / जी.एस.
दिनांक ४ अगस्त, २००२

प्रेषण,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेचा में,

कुलसचिव,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिमा कुलाधिपति अधीन चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य कन्या महाविद्यालय, गोरखपुर को स्थवित राजनीतिशास्त्र विषयों एवं इनातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में लिलित कला तथा राजनीतिशास्त्र विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००२ से आगामी एक वर्ष तक की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता की अवधि विस्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. उपरोक्त विस्तरण अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करके यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि महाविद्यालय अस्थायी सम्बद्धता के सभी मानक पूर्ण करता है अथवा नहीं। मानक अपूर्ण होने की दशा में सम्बद्धता समाप्ति का प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा शासन/कुलाधिपति कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रयोग शासनादेश: १९६०/सत्तर-२-९७(८५) ९७, दिनांक ११.११.९७ के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश के प्राविधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।
3. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।
4. संस्था निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कमियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण कर लेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १४-ए, व्याया मार्ग, इलाहाबाद।
 2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
 3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
 4. प्रबन्धक/चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य गठिला डिग्री वालेज, गोरखपुर
 5. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ।

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रांक-ई.ए./ जी.एस.
दिनांक २० दिसम्बर, 2002

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलाधिपति,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति अधीन चन्द्रकान्ति रमायती देवी आर्य कन्या महाविद्यालय, गोरखपुर को स्वयित्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2002 से आगामी तीन वर्ष तक की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व यूजी.सी.अर्हताधारी शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रयोग फीस, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में शासनादेश: 1960/सत्तर-2-97(85) 97, दिनांक 11.11.97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश के प्राविधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।
3. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।
4. संस्था निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कमियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण कर लेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, व्याय मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. प्रबन्धक/चन्द्रकान्ति रमायती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज, गोरखपुर
5. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ।

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

२६०८

संख्या-५.८ / अग्री ०३
दिनांक १७ सितम्बर, २००३

प्रेस,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा गे.

कुलसचिव,
दोनदियाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

महोदय,

आपके पत्रांक-१२७७-८०/सम्बन्धता/२००३ दिनांक ३.६.२००३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय २००२ द्वारा गिरिष्ट परन्तुक के अधीन चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला पी.जी.कालोज गोरखपुर ७.२००३ से आगामी तीन वर्ष हेतु एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में दिनांक ७.७.२००३ से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बन्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संरथा द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा मूल अधिनियम १६७३ की धारा ३७(२) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बन्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
२. संरथान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बन्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
३. संरथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तार-२- २००३-१६(६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णस्वपेण परिपालन किया जा रहा है।
४. यदि संरथा द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १६७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संरथा को प्रदान की गई सम्बन्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रार्तिनियम निम्नलिखित वो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक/प्राचार्य चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला पी.जी.कालोज गोरखपुर

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव